**अति तत्काल**

**एफ. संख्या आर-11016/02/2015-पी एण्ड सी**

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 20 सितम्बर, 2019

**विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।**

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अगस्त, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक 20.09.2019

(आलोक कुमार वर्मा)

निदेशक (पी एण्ड सी)

दूरभाष नं0 23071149

**प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-**

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
## (उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के माह-**अगस्त 2019** के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

### 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 :-

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 लोक सभा द्वारा दिनांक 30.07.2019 और राज्य सभा द्वारा दिनांक 06.08.2019 को पारित किया गया था। माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त करने के बाद दिनांक 09.08.2019 को शासकीय राजपत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रकाशित किया गया था।

**1.2** माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नियम बनाने हेतु सुझाव/ मत प्राप्त करने के लिए विधेयक पारित करने के दौरान दोनों सदनों में बहस में भाग लेने वाले संसद सदस्यों के साथ दिनांक 27.08.2019 को एक बैठक का आयोजन किया था।

### 2. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

16 एल एम टी दालों का बफर स्टॉक, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन योजना से अंतरण करके किया है। महाराष्ट्र एवं गुजरात से अधिप्राप्त करके 56,689 मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक भी बनाया गया है जिसमें से 5,658 मीट्रिक टन का अगस्त, 2019 माह के दौरान निपटान किया गया था। बफर स्टॉक, समुचित मूल्य एवं पर्याप्त उपलब्धता एवं बेईमान व्यापारियों की जाने वाली द्वारा जमाखोरी को हतोत्साहित करता है।

**2.2** अगस्त, 2019 माह के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत बफर स्टॉक प्रबंधन के बारे में तीन साप्ताहिक पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में सेना के लिए दालों की आपूर्ति एवं बफर स्टॉक से प्याज को निपटान की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्याज, टमाटर एवं दालों के विपणन एवं खुदरा व्यापार के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली के आजादपुर मण्डी कार्यालय, दिल्ली प्रशासन, नाफेड, सफल एवं ई-खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

**2.3** आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 26.08.2019 को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और डी ओ सी – 3 के साथ बैठक आयोजित की गई।

**3. संविदा कृषि के अंतर्गत खरीदारी को स्टॉक सीमा से छूट प्रदान करना :-**

**3.1** आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया था जिसके अनुसार, पंजीकृत गुणवत्ता की कुल सीमा की शर्त के अधीन, इस मामले में किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कृषि उत्पाद की संविदा कृषि खरीददार पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। इससे-

- कृषि के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि एवं तकनीकी प्रवाह होगा
- किसानों के लिए आश्वस्त आय होगी
- आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों-भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और शीत श्रृंखला, परिवहन में निवेश में वृद्धि होगी

**3.2** आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एवं उपलब्धता, उपभोक्ता सशक्तीकरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र खाद्य, नागरिक पूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों के साथ पाँचवीं राष्ट्रीय परामर्श बैठक दिनांक 03.09.2019 को आयोजित की गई थी।

**4. भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-**

**4.1** वर्ष 2020-2022 की अवधि के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को तकनीकी मामलों के लिए आई एस ओ के शीर्षस्थ सरकारी निकाय, आई एस ओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टी एस बी) में चुना गया है।

**4.2** भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2016 (एन बी सी) के इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शुरू की गई है। इसमें भूमि विकास और भवन निर्माण को अभिशासित करने वाले नियमों तथा विनियमों की व्यापक समीक्षा तथा एन बी सी 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रारूप विनियम तैयार करना शामिल है जिनका उपयोग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

**4.3** भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थान एवं उत्पाद-वार परीक्षण सुविधा सहित 4000 से ज़्यादा प्रयोगशालाओं के आंकड़े शामिल कर एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला निर्देशिका शुरू की है। प्रयोगशालाओं का वर्गीकरण आई एस ओ 17025 प्रत्यायन और विभिन्न विनियामकों नामत: बी.आई.एस., एफ एस एस ए आई, ई आई एस, ए पी ई डी ए, सी पी सी बी द्वारा अनुसोदन के आधार पर किया गया है।

**5. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड :-**

**5.1** सरकार ने एन सी सी एफ बोर्ड के अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति के लिए दिनांक 24.07.2018 को एम.एस.एम.ई. अधिनियम, 2002 की धारा 123 के अंतर्गत आदेश जारी किए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायधीश ने दिनांक 31.07.2018 को इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। सरकार ने खंड पीठ के समक्ष एल.पी.ए. दायर किया। खंड पीठ के आदेश के आधार पर, सरकार ने एकल न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दिया, जिन्होंने दिनांक 10.05.2019 के आदेश के द्वारा याचिकादाता 1 (डा. बिजेन्दर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड), श्री अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले (जिनको केन्द्र सरकार ने

प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है) और अंतरिम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इन्दरमीत कौर को शामिल कर एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया। विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल के साथ इस मामले के बारे में विचार विमर्श किया गया और उनकी सलाह के आधार पर, डा. बिजेन्दर सिंह एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (जो बोर्ड के गैर मतदाता सदस्य हैं) के बजाय भारत सरकार के दो सेवानिवृत्त सचिवों को अंतरिम बोर्ड में शामिल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.08.2019 के अपने आदेश के जरिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोध से सहमति व्यक्त की है।

6. **मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

| क्रम सं. | सूचकांक | मुद्रास्फीति दर (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **जुलाई 2019 (अनन्तिम)** | **जून, 2019 (अनन्तिम)** | **जुलाई, 2018 (अंतिम)** |
| 1 | थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)** | 1.08 | 2.02 | 5.27 |
| 2 | थोक मूल्य सूचकांक (**खाद्य वस्तुएं)** | 6.15 | 6..98 | -2.1 |
| 3 | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)** | 5.98 | 8.59 | 5.61 |
| 4 | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ***(संयुक्त)** | 3.15 | 3.18 | 4.17 |
| 5 | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **सूचकांक खाद्य मूल्यउपभोक्ता))*** | 2.36 | 2.25 | 1.30 |

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

**7.** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में 2019 अगस्त, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

**8.** मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

## आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 109 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य जुलाई, 2019 की तुलना में अगस्त, 2019 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

## आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

**(रुपये/कि.ग्रा.)**

| क्रम संख्या | वस्तु | अगस्त, 2019 (अद्यतन) | जुलाई, 2019 (विगत) माह | अंतर (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | चावल | 32 | 32 | 0 |
| 2 | गेहूं | 27 | 26 | 1 |
| 3 | आटा | 28 | 28 | 0 |
| 4 | चना दाल | 66 | 66 | 0 |
| 5 | तूर दाल | 84 | 83 | 1 |
| 6 | उड़द दाल | 75 | 75 | 0 |
| 7 | मूंग दाल | 82 | 82 | 0 |
| 8 | मसूर दाल | 63 | 63 | 0 |
| 9 | चीनी | 39 | 38 | 1 |
| 10 | दूध | 43 | 43 | 0 |
| 11 | मूंगफली का तेल | 130 | 130 | 0 |
| 12 | सरसों का तेल | 110 | 109 | 1 |
| 13 | वनस्पति | 79 | 80 | -1 |
| 14 | सोया तेल | 92 | 92 | 0 |
| 15 | सूरजमुखी का तेल | 100 | 99 | 1 |
| 16 | पॉम ऑयल | 75 | 75 | 0 |
| 17 | गुड़ | 44 | 44 | 0 |
| 18 | चाय खुली | 213 | 213 | 0 |
| 19 | नमक पैकबंद | 15 | 15 | 0 |
| 20 | आलू | 19 | 18 | 1 |
| 21 | प्याज़ | 21 | 19 | 2 |
| 22 | टमाटर | 37 | 36 | 1 |

**स्रोत:** राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

**अनुलग्नक-II**

## उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

**शून्य**

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

**शून्य**

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

**शून्य**

5. ई-गवर्नेंस के कार्रयान्वयन की स्थिति

| फाइलों की कुल संख्या | ई-फाइलों की कुल संख्या |
|---|---|
| **178** | **163** |

.6 लोक शिकायतों की स्थिति :

| **अगस्त, 2019** माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या | **अगस्त, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या |
|---|---|
| **878** | **877** |

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

| **अगस्त, 2019** माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या | **अगस्त, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या |
|---|---|
| **75576** | **49360** |

**8** न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 22 केन्द्रों से 109 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।